A4 रसीद दस्तावेज वगैरह 18

मुकाम

| दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत | तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा | रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| | 195=00<br>20<br>175=00 | |

20 JUN 2002

उप पंजीयक

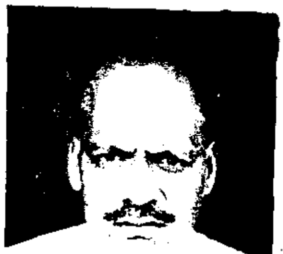

# प्रायवेट ट्रस्ट डीड

स्टाम्प ड्यूटी 500/- अंकन पाँच सौ रूपया

## श्री डी0सी0 एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट (प्रायवेट) शिवपुरी

स्व0 श्री डी0सी0 अग्रवाल का जन्म शिवपुरी वर्ष 1947 में हुआ। श्री अग्रवाल ने एम0एआई0टी0एस0 ग्वालियर से वैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की तथा मध्यप्रदेश में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में सिंचाई विभाग में कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्यरत होकर फरवरी 1997 में स्वर्गवास हो गया।

श्री अग्रवाल की स्मृति को चिरस्थाई रूप प्रदान करने हेतु उक्त प्रायवेट ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है। उक्त ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री कन्हैयालाल गुप्ता एडव्होकेट होंगे। उक्त ट्रस्ट का निर्माण स्व0 श्री डी0सी0 अग्रवाल की प्रथम पुण्य तिथि पर किया जाकर आज उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **ट्रस्ट का नाम** | इस ट्रस्ट का नाम श्री डी0सी0 एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर प्रायवेट ट्रस्ट होगा। |
| 2 | **कार्यक्षेत्र एवं विस्तार** | इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र शिवपुरी जिला शिवपुरी होगा। |
| 3 | **उद्देश्य** | 1 शिवपुरी जिले मे शैक्षणिक स्कूलों का निर्माण व स्थापना।<br>2 भारतीय संस्कृति के मूल्यों की स्थापना व प्रोत्साहन।<br>3 खेलकूद एवं तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन<br>4 पर्यावरण बचाव एवं प्रदूषण के विरूद्ध जन चेतना |

संस्था ट्रस्ट के उद्देश्य अक्षुण्य बने रहे एवं विस्तार होता रहे इस हेतु यह ट्रस्ट बनाया गया है। इसके संस्थापक श्री कन्हैयालाल गुप्ता एडव्होकेट होंगे।

K L Gupta

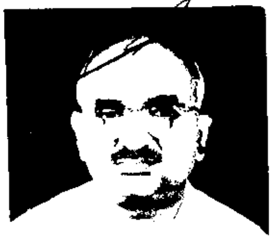

4. **संस्था ट्रस्ट के न्यासधारियों के नाम एवं पते :–**

1– कन्हैयालाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री चिन्टूलाल जी गुप्ता आयु 81 साल निवासी गर्ल्स स्कूल के पास टेकरी रोड शिवपुरी, म0प्र0 – संस्थापक ट्रस्टी

2. गिरीश गुप्ता, एड्वोकेट पुत्र श्री के0एल0 गुप्ता आयु 48 वर्ष गर्ल्स स्कूल के पास टेकरी रोड शिवपुरी

3. वीरेन्द्र सांड पुत्र स्व0 श्री वागमल जी सांड आयु 51 वर्ष मोतीबाबा रोड शिवपुरी

4. सतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल मंगल आयु 33 वर्ष पुरानी शिवपुरी

5. रघुवरदास गोयल पुत्र स्व0 श्री श्रीनिवास दास गोयल आयु 51 वर्ष निवासी माधव चौक शिवपुरी

**कार्यक्रम एवं संस्था ट्रस्ट के संसाधन :**

ट्रस्ट के उद्वेश्य की पूर्ति हेतु समय–समय पर उद्वेश्यों के अनुसार निर्णय लिये जाकर उनकी पूर्ति की जावेगी। वर्तमान में ट्रस्ट की कोई सम्पत्ति नही है।

उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु वसीयत, दान या अन्य हस्तांतरण ट्रस्ट स्वीकार कर सकेगा। ट्रस्ट की सम्पत्ति चल एवं अचल या उसके किसी भाग पर या सम्पूर्ण भाग पर ट्रस्ट को ऋण लेने का अधिकार होगा।

ट्रस्ट के हित में चैक शाख पत्र लेना देना स्वीकार करना, भुगतान लेना या सौदा करना कार्य स्वीकार किये जा सकेंगे। ट्रस्ट सम्पत्ति का आय–व्यय का ब्यौरा रखा जावेगा तथाा समयानुरूप ऑडिट कराया जावेगा।

ट्रस्ट निर्माण के समय ट्रस्ट के पास कोई चल एवं अचल सम्पत्ति नही है। ट्रस्ट की पूंजी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन उपरांत अशंदान, से बनाई जायेगी जिसका खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जावेगा।

100Rs.

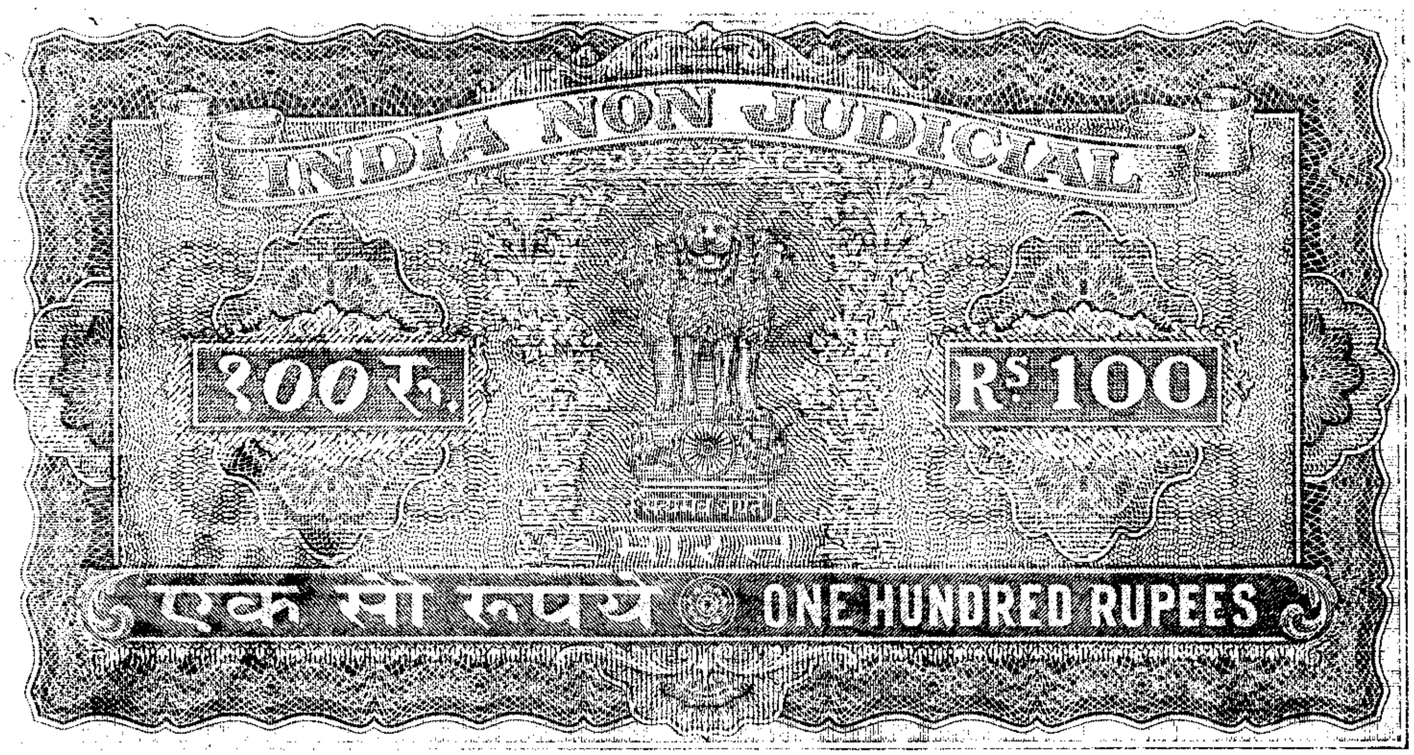


**ट्रस्ट के अध्यक्ष के अधिकार :**

संस्था अध्यक्ष ट्रस्ट मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सतत प्रयास एवं संसाधन जुटाने का प्रयास करने का अधिकार अध्यक्ष का होगा । किसी विषय पर न्यासधारियों का समान मत होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष ट्रस्ट के उद्वेश्यों एवं कार्यों का भी संचालन करायेगा।

**ट्रस्ट के प्रबन्धक एवं सचिव :**

संस्था ट्रस्ट का कोई भी सचिव ट्रस्टी प्रबन्धक एवं सचिव हो सकेगा। प्रबन्धक एवं सचिव का चयन ट्रस्टीगण बहुमत से करेंगे। प्रबन्धक एवं सचिव एक ही व्यक्ति होगा जो कि ट्रस्ट की बैठक अध्यक्ष के आदेशानुसार आमंत्रित करेगा तथा प्राप्त सुझावों को अध्यक्ष एवं संस्था ट्रस्ट की स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वयन करेगा।

ट्रस्ट के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना एवं काम की देखभाल करना प्रबन्धक, सचिव का कर्तव्य होगा।

ट्रस्ट के प्रबन्धक एवं सचिव को संस्था ट्रस्ट के हित में काम करने हेतु 1000/– तक की राशि नगद रखने का अधिकार होगा एवं बिना अनुमति खर्च करने का अधिकार होगा परन्तु उसकी पुष्टि आगामी बैठक मे कराना अनिवार्य होगी।

**कोषाध्यक्ष के अधिकार :**

संस्था ट्रस्ट के उद्वेश्यो की पूर्ति, संचालन एवं विस्तार के लिये जो भी आय–व्यय होगा उसका हिसाब कोषाध्यक्ष रखेगा तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा बने नियमों के अनुरूप कार्य करेगा। प्रतिवर्ष ऑडिट करायेगा, नगदी रूपया किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर रखेगा परन्तु कोषाध्यक्ष को अकेले बैंकों या बैंक से धन निकालने का अधिकार नही होगा। अध्यक्ष

100Rs.

प्रबन्धक / सचिव एवं कोषाध्यक्ष तीनों में से दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही धन राशि निकाली जा सकेगी।

**ट्रस्टियों के अधिकार :**

समस्त ट्रस्टीगण वार्षिक सम्मेलन में ट्रस्ट की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी लेने, कार्यों की समीक्षा करने, एवं सलाह मश्विरा देने के अधिकारी होंगे।

**अध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन एवं कार्यकाल :**

तीनों पदों का चयन ट्रस्टी मण्डल बहुमत से करेगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जो आगे भी ट्रस्टी मण्डल द्वारा बहुमत से बढ़ाया जा सकेगा। पद बीच में रिक्त होने पर ट्रस्टी मण्डल द्वारा भरा जा सकेगा।

**न्यास पत्र में संशोधन :**

इस ट्रस्ट मण्डल के सदस्यो के बहुमत से न्यास पत्र का स्वरूप यथावत रखते हुए समस्त अनुसार आवश्यक संशोधन किये जा सकेंगे।

**न्यास का विघटन :**

संस्था ट्रस्ट के दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट का विघटन किया जा सकेगा।

**ड्राफ्टेड वाय** : देवेन्द्र शर्मा, एडव्होकेट, शिवपुरी, म0प्र0

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण

1. कन्हैयालाल गुप्ता पुत्र स्व0 श्री चिन्टूलाल जी गुप्ता
2. गिरीश गुप्ता, एडव्होकेट पुत्र श्री के0एल0 गुप्ता
3. वीरेन्द्र सांड पुत्र स्व0 श्री वागमल जी सांड
4. सतीश मंगल पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल मंगल
5. रघुवरदास गोयल पुत्र स्व0 श्री श्रीनिवास दास गोयल

**ट्रस्ट का कार्यालय :**

वर्तमान में कोई अचल सम्पत्ति न होने से ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय "गर्ल्स स्कूल टेकरी रोड शिवपुरी गुप्ता भवन" होगा।

**न्यासधारियो का कार्यकाल :**

समस्त न्यासधारी सदस्यगण स्थायी रहेंगे परंतु किसी भी सदस्य का स्थान, त्याग–पत्र या मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाने पर उसके स्थान की पूर्ति ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से की जावेगी।

किसी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने या ट्रस्ट के उद्वेश्यों के विपरीत कार्य करने पर उसे ट्रस्ट से हटाने का अधिकार अन्य ट्रस्टियों को बहुमत से होगा।

ट्रस्ट के उद्वेश्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि समस्त ट्रस्टी किसी अन्य व्यक्तियों को ट्रस्ट के हित में ट्रस्टी बनाना उचित समझते है तो बहुमत से उस व्यक्ति को ट्रस्ट के नये ट्रस्टी के रूप में भी जोड़ा जा सकेगा।

**संस्था ट्रस्ट पदाधिकारियों का गठन :**

संस्था ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों में से अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं सचिव एवं कोषाध्यक्ष को बहुमत से बनाया जावेगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। तीन वर्ष उपरांत पुनः चयन किया जावेगा।

**संस्था ट्रस्ट की बैठक एवं पूर्ति :**

ट्रस्ट मण्डल की गणपूर्ति दो तिहाई सदस्यों की मानी जावेगी। सचिव अध्यक्ष के आदेश पर आवश्यक कार्य हेतु बैठक भी बुला सकेगा।

# Certtficate of Registration

## under sec. 60 Rule 32

Here By Certify that on June 20 Year 2002 Book No. A4 Vol.No. 128 On 5 Page No.31 To 35 Serial No. 14 This Trust Dead Has been Registered.

Sd/. S.S.Pal
Sub Registar
Shivpuri M.P.

उप-पंजीयक
शिवपुरी

उपरोक्त लिपि मेरे द्वारा (उपपंजीयक) शिवपुरी प्रमाणित की जाती है

उप-पंजीयक
शिवपुरी
23 NOV 2002